

27

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- एल0एस0कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 156/2022

1. प्रभू पुत्र श्योलिया
2. रामप्रसाद पुत्र भगवाना
जाति मेघवाल, निवासी जाखोद, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू।

-अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ, जिला झुंझुनू।
2. नरेश पुत्र सज्जनसिंह, जाति मेघवाल, निवासी चनानियो की ढाणी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू।

-रेस्पोजेन्ट्स

अपील अधारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ CONVERSIN ORDER दिनांक 06.05.2022 बअदालत तहसीलदार (भू0अभि0) सूरजगढ जिला झुंझुनू Certificate Ref. LC/2022-23/122247 ख0न0 642/632 ग्राम जाखोद।

उपस्थित:-

1. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट- अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री विजयपाल, एडवोकेट- रेस्पोजेन्ट सं0 2 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोजेन्ट सं0 1 की ओर से।

आदेश

दिनांक 23.01.2023


अपील मय प्रार्थना पत्र स्थगन, प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 जा0दी0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 जा0दी0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 जा0दी0 स्वीकार किये जाते है। अपील अपीलान्ट्स के अनुसार जमीन हाल ख0न0 397 रकबा 3.70 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम जाखोद तहत तहसील सूरजगढ में स्थित है। उक्त जमीन के विभाजन बाबत अदालत मातहत के समक्ष श्योदान पुत्र नानडराम जाति मेघवाल ने उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के यहां मुकदमा उनवानी श्योदान बनाम गुलझारी मु0न0. 231/2016 पेश किया जिसमें अपीलान्ट्स व अन्य सहखातेदारो को बिना सुने गलत रूप से न्यायालय से निर्णय व डिक्री पारित करवाकर गलत विभाजन करवाकर एवं गलत रूप से आलौच्य CONVERSIN ORDER पारित करवाया है


जिला कलक्टर झुंझुनू

जिसके विरुद्ध मौजूदा अपील निम्न आधारों पर पेश है आलौच्य संपरिवर्तन आदेश खिलाफ कानून, न्याय एवं पत्रावली है। रेस्पोजेन्ट नम्बर 2 ने जमीन ख0न0 642/632 रकबा 0.1040 हेक्टर वाके ग्राम जाखोद में से 1040 वर्गमीटर जमीन का कृषि से आवासीय में संपरिवर्तन करवाने के लिये राजस्थान भू- राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत तहसीलदार (भू0अभि0) सूरजगढ के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र कानूनन आवश्यक है। अदालत मातहत के समक्ष ग्राम पंचायत जाखोद का संपरिवर्तन हेतु अनापति प्रमाण पत्र नहीं पेश हुआ। जमीन हाल ख0न0 642/632 वाके जाखोद पर रेस्पोजेन्ट नम्बर 2 नरेश का कब्जा नहीं है। वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति के क्रम में बताया कि राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 75ए के अनुसार बन्दोबस्त या भूमि अभिलेख से संबंध नहीं रखने वाले सभी मामलों में तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश की अपील न्यायालय जिला कलक्टर को की जावेगी। इसके अलावा वकील अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दर्ज अपील सं0 3957/राजसमन्द ऑफ 08 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2010 की नजीर पेश करते हुए बताया कि उक्त अपील को सुनने के लिए न्यायालय जिला कलक्टर सक्षम है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अभि0) सूरजगढ द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 30.03.2021 खारिज किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोजेन्ट सं0 1 तहसीलदार (भू0अ0) सूरजगढ की ओर से बहस कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने जिस आदेश के विरुद्ध अपील पेश की है वह संपरिवर्तन आदेश है जो कि एक प्रशासनिक आदेश न कि न्यायिक आदेश। अपीलान्ट की यह अपील इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है चाहे यह संपरिवर्तन आदेश ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र का। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।


विद्वान अभिभाषक ने रेस्पोजेन्ट सं0 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अधारा 107 जा0दी0 पर बहस कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उनवानी अपील विवेक गुप्ता बनाम सतविन्द्र सिंह में पारित आदेश की नजीर पेश करते हुए बताया कि संपरिवर्तन आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जिसके विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल रिट पीटिशन सं0 3016 ऑफ 1989 उनवानी निजामुद्दीन बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निर्णय दिनांक 16.07.1991 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संपरिवर्तन आदेश एक प्रशासनिक आदेश है। राजस्थान लैण्ड रेवन्यू (अलोटमेंट, कर्नवर्जन एण्ड रेगुलाईजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैण्ड फोर रेजीडेन्शियल और कॉमर्शियल परपज इन अरबन एरियाज) नियम 1971 न्यायिक आदेश नहीं है। अपीलान्ट की यह अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपीलान्ट्स की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।


जिला कलक्टर सुन्सुनू

२३

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। वकील पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत नजारों का भी सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उनवानी अपील विवेक गुप्ता बनाम सतविन्द्र सिंह मे पारित आदेश से पूर्णतया स्पष्ट है कि संपरिवर्तन आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जिसके विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी०बी० सिविल रिट पीटिशन सं० 3016 ऑफ 1989 उनवानी निजामुद्दीन बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मे निर्णय दिनांक 16.07.1991 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि संपरिवर्तन आदेश एक प्रशासनिक आदेश है। राजस्थान लैण्ड रेवन्यू (अलोटमेन्ट, कर्नवर्जन एण्ड रेगुलाईजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैण्ड फोर रेजीडेन्शियल और कॉमर्शियल परपज इन अरबन एरियाज) नियम 1971 न्यायिक आदेश नहीं है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील पोषणीय नहीं है। अतः वकील रेस्पोजेन्ट सं० 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 107 जा०दी० स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट्स की यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल०एस०कुडी)
जिला कलेक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुंझुनूं